तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टी.ए./89/2012/श्रीगंगानगर** **महावीर बनाम हनुमान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04 जनवरी, 2013	**एकल पीठ** **श्री बी. एल. नवल, सदस्य** **उपस्थित** :– (1) श्री रविन्द्र कुमार, अभिभाषक प्रार्थी। (1) श्री आर.के.गुप्ता, राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी। **आदेश** विद्वान् अभिभाषकगण उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता पर बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–12–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष इसलिए उपस्थित होना पड़ा, क्योंकि विद्वान् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर अवकाश पर है एवं विद्वान् राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का पद रिक्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही दिन में पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिसकी पालना की जा रही है एवं यदि पालना हो जाती है तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी एवं धारा 221, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) में यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र ग्राह्य किया जाकर विद्वान् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के अवकाश से लौटने तक चुनौतिधीन आदेश पर स्थगन प्रदान किया जावें। बहस का जवाब देते हुए विद्वान् राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी अंतिम डिक्री के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में नहीं आ सकता, प्रार्थी को चाहिए कि वह आदेश 41 नियम 5, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में उनके सामने ही डिक्री को रूकवाने का प्रार्थना पत्र देता। ऐसा आदेश, जो अपील योग्य है, उसके विरूद्ध सीधे ही धारा 221 अधिनियम, 1955 में राजस्व मण्डल में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्व मण्डल की बृहद् पीठ ने 1984 आर.आर. डी. पृष्ठ 701 किशना बनाम प्यारा में यह अभिनिर्धारित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की जिम्मेदारी अधीनस्थ न्यायालय को ही निभानी चाहिए एवं ऐसे आदेशों के विरूद्ध सीधे राजस्व मण्डल में प्रकरण नहीं लाया जा सकता एवं न ही राजस्व मण्डल ऐसे प्रकरणों को सुन सकता है। **1984 आर.आर.डी. पृष्ठ 701 : किशना बनाम प्यारा** :– Raj. Land Revenue Act, Secs. 9,81,75,20A,29-Scope of Sec.9 - C.P.C. O.41, R.5-Whether Board can u/s 9, grant stay, T.I. or any other interlocutory order and can appoint a Receiver in case office of R.A.A. becoming vacant-Constant practice of Board-Held, Board cannot and should not deal with the mise. applications in appeals pending before R.A.A.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>प्रार्थना पत्र / टी.ए. / 89 / 2012 / श्रीगंगानगर</u>** **महावीर बनाम हनुमान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	The powers of superintendence and control u/s 9 are absolute and are qualified by other provisions of the Act. These powers generally sould not be exercised where a party has a remedy of appeal or revision to the Board, though the same is not availed of. The powers are to be exercised sparingly in extra-Ordinary cases where interest of justice so require. Two circulars dt. 24.9.75 and 31.1.76 issued by Registrar were issued without any authority of law. While exercising powers u/s 9,the Board does not exercise the powers of any other authority including the R.A.A. and it exercises its own powers of superintendence and control. Under Section 81, R.A.A. has a discretion to direct stay of execution of the order appealed from. The provisions of C.P.C. with certain exceptions have been made applicable to all suits and proceedings under the R.T. Act Therefore,the R.A.A. under O.41, R.5 can stay the execution of the decree and can also grant injuction and if necessary, appoint a receiver u/s 212 Thus, these are the powers of R.A.A. to pass such like orders in pending appeals before it. As the powers u/s 9 are subject to other provisions of the Acts, If the Board in appeals/applications pending before R.A.A.u/s 75 & 81 passes any orders, it will be acting against the spirit of Sec.9. Jurisdiction of the Board u/s 9 is neither appellate nor revisional and is original jurisdiction. therefore , merely because the office of the R.A.A. is vacant either temporarily or permanently, the Board cannot and should not exercise its powers of control and superintendence u/s 9 to issue stay orders, etc. Sec.9 is capable of only one intepretation that powers of R.A.A. which alone has powers to grant interim relief in appeals pending before it should not be and cannot be exercised by Board. Therefore, the practice of granting stay by Board such cases has no relevance. It is for the Govt. to make suitable arrangement by appointing more than one officer to have jurisdiction over more than one place. The purpose can also be served adding the words `pass orders on misc. applications' after the word `and'in (i) of Sec.29 हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी ने विद्वान् उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–12–2012 के विरूद्ध धारा 221 अधिनियम, 1955 में यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। निर्णय एवं डिक्री अपील योग्य है, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान् राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए थी। यदि राजस्व अपील प्राधिकारी का पद रिक्त है अन्यथा कोई और कारण है तो दूसरा विकल्प यह है कि वे विचारणीय न्यायालय के समक्ष ही आदेश 41 नियम 5, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कोई अनुतोष प्राप्त करते । विचारणीय न्यायालय के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>प्रार्थना पत्र / टी.ए. / 89 / 2012 / श्रीगंगानगर</u>** **महावीर बनाम हनुमान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा जारी डिक्री एवं निर्णय के विरूद्ध सीधे धारा 221 अधिनियम, 1955 में राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 का क्षैत्राधिकार वैसा ही है जैसा धारा 221, अधिनियम, 1955 का है। इस बारे में माननीय राजस्व मण्डल की बृहद् पीठ द्वारा 1984 आर.आर.डी. पृष्ठ 701 में अभिनिर्धारित किया गया है। धारा 221 अधिनियम, 1955 का उपयोग ऐसे मामलों में नहीं किया जा सकता जहां अपील एवं रिवीजन का प्रावधान मौजूद हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा धारा 221 अधिनियम, 1955 का यह प्रार्थना पत्र ग्राह्य योग्य नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(बी. एल. नवल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र / टी.ए. / 89 / 2012 / श्रीगंगानगर** **महावीर बनाम हनुमान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र / टी.ए. / 89 / 2012 / श्रीगंगानगर** **महावीर बनाम हनुमान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र / टी.ए. / 89 / 2012 / श्रीगंगानगर** **महावीर बनाम हनुमान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए